




सत्यमेव जयते

लेखे एक नजर में 2016-17



झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार

लेखे एक नजर में

वर्ष 2016–17

झारखण्ड सरकार

प्रस्तावना


भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार राज्य सरकार के वार्षिक लेखे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के निदेशों के अधीन राज्य विधान मंडल के पटल पर रखने के लिए बनाये और जाँचे गये हैं।

वार्षिक लेखे-समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अधीन लेखे का संक्षिप्त विवरण है। विनियोग लेखे में राज्य विधान मंडल द्वारा अनुमोदित प्रावधानों के विरुद्ध अनुदानवार व्यय को दर्ज किया जाता है एवं वास्तविक व्यय तथा उपलब्ध कराये गये निधियों के बीच अंतर का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार करते हैं।

'लेखे एक नजर में' सरकारी क्रियाकलापों का विस्तृत विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है, जैसा कि वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे में प्रदर्शित है। ये सूचना संक्षिप्त व्याख्याओं, विवरणों और ग्राफों के द्वारा दर्शाया गया है।

हमें उन परामर्शों की अपेक्षा है जो हमारे प्रकाशन के सुधार में सहायक सिद्ध हो।

स्थान : रांची
दिनांक : 08.03.2018



(चन्द्र मौलि सिंह)
महालेखाकार (ले. एवं हक.)

हमारा दृष्टिकोण, उद्देश्य एवं मूल्यांकन सार

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के संस्थान का दृष्टिकोण यह इंगित करता है कि

हमें यह प्रयास करना है कि (वैश्विक नेतृत्व) सार्वजनिक क्षेत्र के लेखापरीक्षण एवं लेखाकरण में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम पद्धति का प्रवर्तक रहें एवं हमारा वैश्विक नेतृत्व हो तथा लोक वित्त एवं अभिशासन पर स्वतंत्र, विश्वसनीय, संतुलित एवं सामयिक प्रतिवेदन के लिए पहचाना जाए।

हमारा उद्देश्य हमारे वर्तमान दायित्व को निरूपित करता है तथा यह दर्शाता है कि वर्तमान में हमलोग क्या कर रहे हैं।

भारत के संविधान द्वारा अधिदेशाधीन, हम उच्च गुणवत्ता की लेखापरीक्षण तथा लेखाकरण के माध्यम से उत्तरदायित्व, पारदर्शिता एवं अच्छे अभिशासन को प्रोत्साहित करते हैं, तथा अपने भागीदारों-विधानमंडल, कार्यपालिका एवं जनता को स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करते हैं कि लोक निधियों का उपयोग दक्षतापूर्वक तथा इच्छित उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

सभी के लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा मूल्यांकन सार प्रज्वलित दीप की तरह मार्गदर्शन करे तथा अपनी कार्यकुशलता को परखने में हमें दिशा-निर्देश प्रदान करे।

स्वतंत्रता

व्यवसायिक दक्षता

वस्तुनिष्ठता

पारदर्शिता

निष्ठा

सकारात्मक दृष्टिकोण

विश्वसनीयता

विषय-सूची

अध्याय-1	विहंगावलोकन	पृष्ठ
1.1.	भूमिका	7
1.2.	लेखे की संरचना	7
1.2.1.	सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं	7
1.2.2.	लेखा संकलन	7
1.3.	वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे	8
1.3.1.	वित्त लेखे	8
1.3.2.	विनियोग लेखे	8-9
1.4.	निधियों के स्रोत एवं उपयोग	9
1.4.1.	अर्थोपाय अग्रिम	9
1.4.2.	निधि प्रवाह विवरणी (निधियों के स्रोत तथा उपयोग)	9-10
1.4.3.	रूपये कहाँ से आए	10
1.4.4.	रूपये कहाँ गए	11
1.5.	लेखे की विशिष्टता	11-12
1.6.	घाटा एवं अधिशेष क्या दर्शाता है?	12-13
1.6.1.	राजस्व घाटा/अधिशेष की प्रवृत्ति	13
1.6.2.	राजकोषीय घाटा की प्रवृत्ति	13
1.6.3.	उधार ली गई निधियों का अनुपात जो पूंजीगत व्यय पर खर्च किए गए	14
अध्याय-2	प्राप्तियाँ	
2.1.	भूमिका	15
2.2.	राजस्व प्राप्तियाँ	15
2.2.1.	राजस्व प्राप्तियाँ का घटक (2016-17)	16
2.2.2.	कर राजस्व के मुख्य अंशदाताओं	16
2.3.	राजस्व प्राप्तियों की घटक में प्रवृत्ति	17-18
2.4.	राज्य की स्व कर राजस्व संग्रहण का प्रदर्शन	18
2.5.	कर संग्रहण की दक्षता	18-19
2.6.	विगत पाँच वर्षों के दौरान संघीय करों में राज्य का हिस्सों की प्रवृत्ति	19
2.7.	सहायक अनुदान	20
2.8.	लोक ऋण	20-21
अध्याय-3	व्यय	
3.1.	भूमिका	22
3.2.	राजस्व व्यय	22
3.2.1.	राजस्व व्यय (2016-17) का खण्डवार वितरण	23
3.2.2.	राजस्व व्यय (2012-17) के मुख्य घटक	23
3.3.	पूंजीगत व्यय	24
3.3.1.	पूंजीगत व्यय का खण्डवार वितरण	24
3.3.2.	विगत पाँच वर्षों के दौरान पूंजीगत व्यय का खण्डवार वितरण	24-25

अध्याय-4	योजना एवं गैर-योजना व्यय	
4.1.	व्यय का वितरण (2016-17)	26
4.2.	योजना व्यय	26
4.2.1.	पूँजी लेखा के अन्तर्गत योजना व्यय	27
4.3.	गैर-योजना व्यय	27
4.4.	वचनबद्ध व्यय	27-28
<hr/>		
अध्याय-5	विनियोग लेखे	
5.1.	वर्ष 2016-17 के लिए विनियोग लेखे का सारांश	29
5.2.	विगत पाँच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य या अधिक व्यय की प्रवृत्ति	29
5.3.	महत्वपूर्ण बचतें	29-30
<hr/>		
अध्याय-6	परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व	
6.1.	परिसम्पत्तियाँ	31
6.1.1.	रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश	31
6.2.	ऋण एवं दायित्व	31-32
6.3.	निवेश एवं वापसियाँ	32
6.4.	राज्य सरकार द्वारा कर्ज एवं अग्रिम	32
6.5.	प्रत्याभूति	32
<hr/>		
अध्याय-7	अन्य मदें	
7.1.	आन्तरिक ऋण के अधीन शेष	33
7.2.	स्थानीय निकायों एवं अन्यान्य को वित्तीय सहायता	33
7.3.	लेखे का पुनर्मिलान	33-34
7.4.	कोषागारों द्वारा लेखे का प्रेषण	34
7.5.	राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सहायक अनुदानों के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	34-35
7.6.	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र (ए.सी.) एवं विस्तृत आकस्मिक विपत्र (डी.सी.)	35
7.7.	अपूर्ण पूँजीगत कार्यों के लेखे की वचनबद्धता	35
7.8.	उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यु.डी.ए.वाई.)	35-36
7.9.	व्यय की तीव्रता	36
<hr/>		

विहंगावलोकन

1.1. भूमिका


जिला कोषागारों, लोक-निर्माण कार्यों एवं वन प्रमंडलों द्वारा भेजे गए लेखे से राज्य सरकार के मासिक लेखे महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित और समेकित किये जाते हैं। इसके अलावे, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के निदेशों के अधीन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार वित्त लेखे और विनियोग लेखे महालेखाकार द्वारा प्रतिवर्ष तैयार किये जाते हैं।

1.2. लेखे की संरचना

1.2.1. सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं:-

भाग - I समेकित निधि	राजस्व एवं पूंजीगत लेखे, लोक ऋण तथा कर्जे एवं पेशकियां पर प्राप्तियाँ और व्यय
भाग - II आकस्मिक निधि	वैसे अदृश्य व्यय को पूरा करने के लिए जिसके लिए बजट में प्रावधान नहीं है, तदोपरान्त इस निधि से व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति समेकित निधि से की जाती है।
भाग - III लोक लेखे	इसमें ऋण, जमा, पेशगियां, प्रेषण तथा उचित लेनदेन शामिल है। ऋण एवं जमा सरकार की देयता के पुनर्भुगतान को इंगित करता है। पेशगियां सरकार की प्राप्तियाँ हैं। प्रेषण एवं उचित लेनदेन समायोज्य प्रविष्टियाँ हैं जिसे अंतिम लेखा शीर्ष में पुस्तांकन द्वारा उत्तरोत्तर समाशोधित किया जाता है।

1.2.2. लेखा संकलन



चार्ट नं. - 1

1.3. वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे

1.3.1. वित्त लेखे

लेखे में दर्ज शेषों के परीक्षण के आधार राजस्व और पूंजी लेखे, लोक ऋण के लेखे एवं दायित्वों तथा सम्पत्तियों द्वारा प्रकट वित्तीय परिणामों के साथ वर्ष के लिए सरकार के प्राप्तियों और व्ययों के लेखे वित्त लेखे प्रस्तुत करता है। वित्त लेखे को अधिक व्यापक एवं सूचनात्मक बनाने हेतु इसे दो खण्डों में बनाया गया है। वित्त लेखे के खण्ड - I में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र, सम्पूर्ण प्राप्तियों एवं संवितरणों का संक्षिप्त विवरण समाहित है तथा 'लेखे पर टिप्पणियाँ', जिसमें महत्वपूर्ण लेखाकरण की नीतियाँ, लेखे की गुणवत्ता तथा अन्य मदें शामिल हैं। खण्ड - II में विस्तृत (भाग - I) तथा परिशिष्टों (भाग - II) को शामिल किया जाता है।

झारखण्ड सरकार के प्राप्तियों और व्ययों, जैसा कि वित्त लेखे, 2016-17 में अंकित है, को नीचे दर्शाया गया है -

टेबल नं. - 1

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ (कुल : ₹ 57,285)	राजस्व (कुल: ₹ 47,054)	कर राजस्व	32,441
		करेतर राजस्व	5,351
		सहायक अनुदान	9,262
	पूंजी (कुल : ₹ 10,231)	कर्ज एवं पेशगियों की वसूली ¹	39
		उधार एवं अन्य दायित्व	10,192
संवितरण (कुल : ₹ 57,285)	राजस्व		45,089
	पूंजी		10,861
	कर्ज एवं पेशगियाँ		1,335

¹ उधार एवं अन्य दायित्व : निवल लोक ऋण (प्राप्तियाँ-संवितरण) + अन्तर्राज्यीय परिशोधन + निवल लोक लेखा (प्राप्तियाँ-संवितरण) + निवल अथ एवं अन्त रोकड़ शेष

केन्द्र सरकार, राज्य में विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों/ गैर-सरकारी संगठनों को प्रत्यक्ष रूप से वास्तविक निधियों का हस्तांतरण करती है। इस वर्ष, भारत सरकार ने ₹ 312 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 258 करोड़) प्रत्यक्ष रूप से विमुक्त किया। राज्य में अवस्थित केन्द्रीय निकायों के साथ-साथ झारखण्ड सरकार के अधीनता से परे विभिन्न अन्य संगठनों को वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2015-16 के लिए क्रमशः ₹ 463 करोड़ एवं ₹ 618 करोड़ की राशि विमुक्त की गई, जो इसमें शामिल नहीं है। चूँकि इन निधियों का उल्लेख राज्य के बजट में नहीं किया जाता है, इसलिए राज्य सरकार के लेखे में ये निधियाँ प्रतिबिम्बित नहीं होते हैं। वर्तमान में वित्त लेखे के खण्ड - II के परिशिष्ट - VI में इन अंतरणों को दर्शाया जा रहा है।

1.3.2. विनियोग लेखे

विनियोग लेखे, वित्त लेखे का सम्पूरक है। यह समेकित निधि पर प्रभारित अथवा राज्य विधान मंडल द्वारा दत्तमत राशियों के विरुद्ध राज्य सरकार के व्यय को दर्शाता है। इसमें 05 प्रभारित विनियोग, 54 दत्तमत अनुदान, 01 दत्तमत एवं प्रभारित मिश्रित अनुदान हैं।

विनियोग अधिनियम, 2016-17 द्वारा ₹ 72,966 करोड़ का सकल व्यय तथा व्यय में कमी (वापसियाँ) के अन्तर्गत ₹ 399 करोड़ का प्रावधान किया गया था। इसके विरुद्ध वास्तविक सकल व्यय ₹ 59,433 करोड़ था तथा ₹ 70 करोड़ व्यय की कमी के अन्तर्गत था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 13,533 करोड़ (23 प्रतिशत) का बचत हुआ तथा व्यय की कमी पर ₹ 329 करोड़ (82 प्रतिशत) का अधिक आकलन किया गया।

सकल व्यय में संक्षिप्त आकस्मिक (ए. सी.) विपत्रों के द्वारा निकासी किया गया ₹ 1,268 करोड़ शामिल है जिसमें ₹ 955 करोड़, जो कि विस्तृत आकस्मिक (डी. सी.) विपत्रों के अभाव में वर्ष के अन्त तक अभी भी लंबित है।

वर्ष 2016-17 के दौरान, ₹ 8,407 करोड़ लोक लेखे के अन्तर्गत स्थानीय निधि जमा लेखाओं को समेकित निधि से हस्तांतरित किया गया था, जिसका रख-रखाव विशेष उद्देश्यों के लिए पदनामित प्रशासकों द्वारा किया जाता है। कोषागार पदाधिकारी द्वारा वर्ष के अन्त में महालेखाकार को संसूचित करते हुए निधि को एक तरफ एवं संघारित करने वाले प्राधिकारी की निधि को दूसरी तरफ प्रत्येक स्थानीय निधि में जमा शेषों को सत्यापित किया जाएगा। महालेखाकार के अभिलेख में जो राशि शेष होगी वह सरकार द्वारा स्वीकार्य होगा जिसे मानक मानते हुए कोषागार पदाधिकारी को अनुसरण करना होगा न कि स्थानीय निधि में दिखाये गये लेखों के आधार पर।

1.4. निधियों के स्रोत तथा उपयोग

1.4.1. अर्थोपाय अग्रिम

राज्य सरकारों को अपनी परिशोधित स्थिति को कायम रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थोपाय पेशगियों की सुविधा में बढ़ोत्तरी किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ रख-रखाव में सम्मत न्यूनतम रोकड़ शेष (15 नवम्बर 2000 से प्रभावी ₹ 0.45 करोड़) में जब कोई कमी आती है तो उसके लिए ओवर ड्राफ्ट की सुविधाएँ प्रदान की गई है। वर्ष 2016-17 के दौरान झारखण्ड सरकार ने तीन दिनों के लिए साधारण, अर्थोपाय पेशगियाँ प्राप्त किया तथा ओवरड्राफ्ट सुविधाओं का सहारा नहीं लिया है।

1.4.2. निधि प्रवाह विवरण

राज्य के पास ₹ 1,965 करोड़ का राजस्व अधिशेष एवं ₹ 10,192 करोड़ का राजकोषीय घाटा था, जो सकल राज्य घरेलु उत्पाद (स.रा.घ.उ.)² के क्रमशः 0.78 प्रतिशत तथा 4.02 प्रतिशत को दर्शाता है। राजकोषीय घाटा कुल व्यय के 18 प्रतिशत को संस्थापित करता है। इस घाटे को लोक ऋण (₹ 7,081 करोड़), लोक लेखे में अभिवृद्धि (₹ 5,895 करोड़) तथा निवल अथ एवं अन्त रोकड़ शेष (₹ 706 करोड़) से पूरा किया गया। राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 47,054 करोड़) का लगभग 37 प्रतिशत वचनबद्ध व्यय जैसे वेतन (₹ 8,927 करोड़), ब्याज अदायगियाँ (₹ 4,172 करोड़) एवं पेंशन (₹ 4,135 करोड़) पर व्यय किया गया।

² सकल राज्य घरेलु उत्पाद का ₹ 2,53,536 करोड़ जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है, को लिया गया है।

निधियों के स्रोत तथा उपयोग

टेबल नं. - 2


(₹ करोड़ में)

विवरण		राशि
स्रोत	01.04.2016 को अथ रोकड़ शेष	(-)204
	राजस्व प्राप्तियाँ	47,054
	कर्ज एवं अग्रिम की वसूली	39
	लोक ऋण	7,081
	अंतर्राज्यीय परिशोधन	0
	लघु बचत भविष्य निधि एवं अन्य	873
	आरक्षित एवं निक्षेप निधियाँ	453
	जमा प्राप्ति	10,785
	सिविल अग्रिम पुनर्भुगतान	359
	उचंत लेखा	65,170
	प्रेषण	9,281
	आकस्मिकता निधि	0
कुल	1,40,891	

विवरण		राशि
उपयोग	राजस्व व्यय	45,089
	पूँजी व्यय	10,861
	दिए गए कर्ज	1,335
	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	2,078
	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	0
	लघु बचत भविष्य निधि एवं अन्य	994
	आरक्षित एवं निक्षेप निधियां	70
	खर्च किए गए जमा	5,754
	दिए गए सिविल अग्रिम	360
	उचंत लेखा	64,537
	प्रेषण	9,311
	31.03.2016 को अन्त रोकड़ शेष	502
	कुल	1,40,891

1.4.3. रुपये कहाँ से आए


(₹ करोड़ में)



चार्ट नं. - 2

1.4.4. रुपये कहाँ गए

(₹ करोड़ में)



चार्ट नं. - 3

1.5. लेखे की विशिष्टता

टेबल नं. - 3

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्रोत	ब.प्रा. 2016-17	वास्तविकी	वास्तविकी ब.प्रा. की प्रतिशतता	स.रा.घ.उ. की वास्तविकी से प्रतिशतता ³ 2,53,536
1	कर राजस्व ⁴	35,529	32,441	91	13
2	करेतर राजस्व	8,426	5,351	64	2
3	सहायक अनुदान एवं अंशदान	11,802	9,262	78	4
4	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)	55,757	47,054	84	19
5	कर्जे एवं अग्रिमों की वसूली	46	39	85	0
6	उधार एवं अन्य दायित्व ⁵	7,700	10,192	132	4
7	पूंजी प्राप्तियाँ (5+6)	7,746	10,231	132	4
8	कुल प्राप्तियाँ (4+7)	63,503	57,285	90	23
9	गैर-योजना व्यय ⁶	24,370	23,019	94	9
10	राजस्व लेखा पर गै.यो. व्यय	24,236	22,895	94	9

क्र. सं.	स्रोत	ब.प्रा. 2016-17	वास्तविकी	वास्तविकी ब.प्रा. की प्रतिशतता	स.रा.घ.उ. की वास्तविकी से प्रतिशतता ³ 2,53,536
11	10 में से ब्याज भुगतान पर गै.यो.व्यय	4,380	4,172	95	2
12	पूँजी लेखा पर गै.यो. व्यय	134	124	93	0
13	योजना व्यय ⁶	37,066	34,266	92	14
14	राजस्व लेखा पर योजना व्यय	24,526	22,194	90	9
15	पूँजी लेखा पर योजना व्यय	12,540	12,072	96	5
16	कुल व्यय (9+13)	61,436	57,285	93	23
17	राजस्व व्यय (10+14)	48,762	45,089	92	18
18	पूँजी व्यय (12+15) ⁷	12,674	12,196	96	5
19	राजस्व अधिशेष (4-17)	6,995	1,965	28	1
20	राजकोषिय घाटा (4+5-16)	5,633	10,192	181	4

³ सकल राज्य घरेलु उत्पाद का ₹ 2,53,536 करोड़ जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है, को लिया गया है।

⁴ संघीय करों में राज्य का हिस्सा का ब.प्रा. तथा वास्तविकी क्रमशः ₹ 18,479 करोड़ तथा ₹ 19,142 करोड़ सम्मिलित है।

⁵ उधार एवं अन्य दायित्व : निवल लोक ऋण (प्राप्तियाँ - संवितरण) + अन्तर्राज्यीय परिशोधन + निवल आकस्मिकता निधि + निवल लोक लेखा (प्राप्तियाँ - संवितरण) + निवल अथ एवं अन्त रोकड़ शेष।

⁶ व्यय में ₹ 77 करोड़ गैर-योजनान्तर्गत एवं ₹ 1,258 करोड़ योजनान्तर्गत सम्मिलित है जो कर्ज एवं अग्रिमों से संबंधित है।

⁷ पूँजी लेखा पर व्यय में पूँजी व्यय (₹ 10,861) एवं संवितरित कर्ज तथा अग्रिमों (₹ 1,335 करोड़) सम्मिलित है।

1.6. घाटा एवं अधिशेष क्या दर्शाता है?


घाटा	राजस्व एवं व्यय के बीच के अन्तर को प्रकट करता है, घाटों के प्रकार, घाटा कैसे सम्पोषित हुआ तथा निधियों का उपयोग वित्तीय प्रबंधन में विवेक का महत्वपूर्ण सूचकांक है।
राजस्व घाटा/ अधिशेष	राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय के बीच के अन्तर को प्रकट करता है। राजस्व व्यय सरकार के वर्तमान स्थापना के रख-रखाव के लिए आवश्यक है तथा आदर्शतः राजस्व प्राप्तियों से ही उसे पूर्णतः पूरा किया जाना चाहिए।
राजकोषीय घाटा/ अधिशेष	कुल प्राप्तियाँ (उधार को छोड़कर) तथा कुल व्यय के बीच के अन्तर को प्रकट करता है। इसलिए यह अन्तर उधारों द्वारा व्यय को किस सीमा तक सम्पोषित किया गया है। सूचित करता है आदर्शतः उधारों को पूँजीगत परियोजनाओं में निवेशित किया जाना चाहिए।

घाटा सूचकांक, राजस्व को वृद्धि एवं व्यय प्रबंधन सरकार के राजकोषीय दक्षता को परखने का मुख्य मापदण्ड है। राज्य सरकार को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने राज्यों को समेकित ऋण एवं राहत सुविधा (डी.सी.आर.एफ.) में अभिवृद्धि की है जिसके तहत सफल राज्य सरकारें मूलधन एवं/अथवा ब्याज के पुनर्भुगतान पर राहत प्राप्त कर सकेंगे।

वर्ष 2006-07 के अनुरूप ही राज्य सरकार द्वारा राजस्व अधिशेष के लक्ष्य को प्राप्त किया गया और उसके बाद भी इसे 2013-14 तक कायम रखा गया, लेकिन वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 230 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ।


पुनः वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान क्रमशः ₹ 4,085 करोड़ तथा ₹ 1,965 करोड़ राजस्व अधिशेष हुआ। यद्यपि, राज्य सरकार एवं भारत सरकार के बीच स.रा.घ.उ. में राजकोषीय घाटा की प्रतिशतता के परिकलन में मत भिन्नता है। राज्य सरकार के आकलन के दौरान स.रा.घ.उ. में राजकोषीय घाटे के अनुपात वर्ष 2012-17 में 4.76 एवं 1.31 प्रतिशत की सीमा के बीच था।

1.6.1. राजस्व घाटा/अधिशेष की प्रवृत्ति




चार्ट नं. - 4

1.6.2. राजकोषीय घाटा की प्रवृत्ति



चार्ट नं. - 5

1.6.3. उधार ली गई निधियों का अनुपात जो पूंजीगत व्यय पर खर्च किया गया



चार्ट नं. - 6

यह अपेक्षा की जाती है कि पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु उधार ली गयी निधियों का पूर्णतः उपयोग किया जाय तथा मूलधन एवं ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु राजस्व प्राप्तियों का उपयोग हो। वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य सरकार ने चालू वर्ष में अपने पूंजीगत व्यय के लिए उधारों से (₹ 7,081 करोड़) तथा राजस्व अधिशेष से (₹ 1,965 करोड़) सम्पोषित किया।

प्राप्तियाँ


2.1. भूमिका

सरकार की प्राप्तियों को दो भागों यथा राजस्व प्राप्तियाँ तथा पूंजीगत प्राप्तियाँ में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2016-17 के लिए कुल प्राप्तियाँ ₹ 54,174 करोड़ थी।

2.2. राजस्व प्राप्तियाँ

कर राजस्व	भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 (3) के अधीन संघीय करों में राज्य का हिस्सा से संबंधित करों को राज्य सरकार द्वारा संग्रहण करना एवं रखना शामिल है।
करेतर राजस्व	ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश, लाभ इत्यादि शामिल हैं।
सहायक अनुदान	अनिवार्यतः संघीय सरकार से राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता के रूप में मिलने वाली राशि विदेशी सरकारों से प्राप्त होने वाली वाह्य अनुदान सहायता एवं सहायता उपस्कर एवं सामग्री जिसे संघीय सरकार के माध्यम से विभिन्न सरकारों को उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही राज्य सरकार भी संस्थाओं यथा-पंचायती राज संस्थान, स्वायत्तशासी निकायों आदि को सहायक अनुदान देती है।

(₹ करोड़ में)



चार्ट नं. - 7

2.2.1. राजस्व प्राप्तियाँ का घटक (2016-17)

टेबल नं. - 4

(₹ करोड़ में)

घटक		वास्तविकी
क.	कर राजस्व	32,441
	आय तथा व्यय पर कर	10,446
	सम्पत्ति एवं पूंजीगत संव्यवहारों पर कर	861
	वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर	21,114
ख.	करेतर राजस्व	5,351
	ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश तथा लाभ	121
	सामान्य सेवायें	466
	सामाजिक सेवायें	368
	आर्थिक सेवायें	4,396
ग.	सहायक अनुदान एवं अंशदान	9,262
	कुल राजस्व प्राप्तियाँ	47,054

2.2.2. कर राजस्व के मुख्य अंशदाताओं

टेबल नं. - 5

(₹ करोड़ में)

घटक	वास्तविकी	स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	10,549	4.16
निगम कर	6,135	2.42
आय पर निगम कर से भिन्न कर	4,264	1.68
सेवा कर	3,077	1.21
सीमा शुल्क	2,639	1.04
संघ उत्पाद शुल्क	3,013	1.18

वर्ष के दौरान, निवल कर राजस्व बजट प्रावधान से ₹ 3,088 करोड़ कम था, मुख्य असंगतियाँ निम्नरूप है :

टेबल नं. - 6

(₹ करोड़ में)

जहाँ वास्तविक आय बजट से अधिक था		जहाँ वास्तविक आय बजट प्रावधान से कम था	
शीर्ष	राशि	शीर्ष	राशि
संघ उत्पाद शुल्क	1,325	बिक्री कर	2,154
सेवा कर	353	राज्य उत्पाद शुल्क	538
		वाहन कर	418
		सीमा शुल्क	350
		आय पर निगम कर से भिन्न कर	344
		निगम कर	318
		स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	293

2.3. राजस्व प्राप्तियों की घटक में प्रवृत्ति


टेबल नं. - 7

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कर राजस्व	16,412 (9)	18,319 (10)	19,837 (9)	27,448 (11)	32,441 (13)
करेतर राजस्व	3,536 (2)	3,753 (2)	4,335 (2)	5,853 (2)	5,351 (2)
सहायक अनुदान	4,822 (3)	4,065 (2)	7,393 (3)	7,337 (3)	9,262 (4)
कुल राजस्व प्राप्तियाँ	24,770 (14)	26,137 (14)	31,565 (15)	40,638 (16)	47,054 (19)
स.रा.घ.उ. ¹	1,74,724	1,88,567	2,17,107	2,41,955	2,53,536 ⁸

⁸ (₹ 2,53,536 करोड़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद) जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है, को लिया गया है। टिप्पणी : लघु कोष्ठक में आँकड़े स.रा.घ.उ., जो कि पूर्णांकित आँकड़े के रूप में हैं, की प्रतिशतता को प्रदर्शित करता है।

वर्ष 2016-17 के दौरान राजस्व संग्रह में वृद्धि वर्ष 2015-16 की तुलना में 16 प्रतिशत था जबकि वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के बीच स.रा.घ.उ. में वृद्धि 5 प्रतिशत ही थी। कर राजस्व में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा करेतर राजस्व में 9 प्रतिशत की हास हुई। अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग (₹ 4,094 करोड़), बिक्री व्यापार आदि पर कर (₹ 10,549 करोड़) एवं आय पर निगम कर से भिन्न कर (₹ 4,264 करोड़) के अन्तर्गत महत्वपूर्ण संग्रह किया गया। निश्चित कर घटकों जैसे बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 10,549 करोड़), राज्य उत्पाद शुल्क (₹ 962 करोड़), निगम कर (₹ 6,135 करोड़) एवं सेवा कर (₹ 3,077 करोड़) के अन्तर्गत राज्य का स्व राजस्व उच्च प्रवृत्ति को दर्शाता है।



चार्ट नं. - 8


खण्डवार - कर राजस्व

टेबल नं. - 8

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
आय तथा व्यय पर कर	4,745	5,036	5,736	8,617	10,466
सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर	594	741	623	697	861
वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	11,073	12,542	13,478	18,134	21,114
कुल कर राजस्व	16,412	18,319	19,837	27,448	32,441

स.रा.घ.उ. के अनुपात में मुख्य करों की प्रवृत्ति



चार्ट नं. - 9

2.4. राज्य की स्व कर राजस्व संग्रहण का प्रदर्शन

टेबल नं. - 9

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कर राजस्व	संघीय करों में राज्य का हिस्सा	राज्य का स्व कर राजस्व	
			राशि	स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2012-2013	16,412	8,188	8,224	5.25
2013-2014	18,319	8,939	9,380	4.96
2014-2015	19,837	9,487	10,350	5.24
2015-2016	27,448	15,969	11,479	4.74
2016-2017	32,441	19,142	13,299	5.25

सकल राज्य घरेलू उत्पाद का राज्य स्व कर राजस्व (5 प्रतिशत)

2.5. कर संग्रहण की दक्षता

क. सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर

टेबल नं. - 10

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजस्व संग्रहण	594	741	623	697	861
संग्रहण पर व्यय	182	190	196	219	262
कर संग्रहण की दक्षता (प्रतिशत में)	31	26	31	31	30

ख. वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर

टेबल नं. - 11

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजस्व संग्रहण	11,073	12,542	13,478	18,133	21,114
संग्रहण पर व्यय	63	72	69	75	74
कर संग्रहण की दक्षता (प्रतिशत में)	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4

वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर एक प्रकार से कर राजस्व का मुख्य भाग है। कर संग्रहण की मात्रा को कुछ और बढ़ाने की आवश्यकता है।

2.6. विगत पाँच वर्षों के दौरान संघीय करों में राज्य का हिस्सा की प्रवृत्ति

टेबल नं. - 12

(₹ करोड़ में)


मुख्य शीर्ष का वर्णन	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
निगम कर	2,941	3,006	3,313	5,031	6,135
निगम कर से भिन्न आय पर कर	1,761	1,980	2,366	3,503	4,264
धन कर	5	8	9	1	14
सीमा शुल्क	1,361	1,459	1,534	2,551	2,639
संघ उत्पाद शुल्क	925	1,030	866	2,117	3,013
सेवा कर	1,196	1,456	1,399	2,755	3,077
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	0	0	0	10	9
संघीय करों में राज्य का हिस्सा	8,189	8,939	9,487	15,968	19,142
कुल कर राजस्व	16,412	18,319	19,837	27,448	32,441
कुल कर राजस्व की संघीय करों की प्रतिशतता	50	49	48	58	59

⁹ यहाँ पर मात्र ₹ 7,000 है।

2.7. सहायक अनुदान

सहायक अनुदान भारत सरकार से सहायता को इंगित करता है, जिसमें योजना आयोग द्वारा अनुमोदित राज्य योजनागत योजनाओं, केन्द्रीय योजनागत योजनाओं एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं तथा वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राज्य के गैर-योजनाओं के लिए अनुदान शामिल है। सहायक अनुदान के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 के दौरान कुल प्राप्तियाँ ₹ 9,262 करोड़ थी, जैसा कि नीचे दिखाया गया है।

(₹ करोड़ में)



चार्ट नं. - 10

कुल सहायक अनुदान में गैर-योजना अनुदानों के हिस्से में वर्ष 2014-15 के दौरान 24 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015-16 में 23 प्रतिशत तथा आगे वर्ष 2016-17 में घटकर 20 प्रतिशत हुआ तथा योजनागत योजनाओं हेतु अनुदानों के हिस्से में वर्ष 2014-15 में 76 प्रतिशत से 2015-16 में 77 प्रतिशत की वृद्धि तथा आगे वर्ष 2016-17 में 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ₹ 11,802 करोड़ के संघीय हिस्से के बजट प्राक्कलन के विरुद्ध वास्तव में राज्य सरकार ने ₹ 9,261 करोड़ का सहायक अनुदान (बजट प्राक्कलन का 78 प्रतिशत) व्यय किया।

2.8. लोक ऋण

विगत पाँच वर्षों में लोक ऋण की प्रवृत्ति

टेबल नं. - 13

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
आन्तरिक ऋण	4,960	4,597	6,537	13,080	6,847
केन्द्रीय कर्ज	239	106	153	165	234
कुल लोक ऋण	5,199	4,703	6,690	13,245	7,081

वर्ष 2016-17 में सात राज्य विकास ऋणों के लिए ₹ 5,154 करोड़ की राशि राज्य सरकार द्वारा उगाही गई। विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

टेबल नं. - 14

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	ऋण का विवरण	राशि	ब्याज की दर	विमोच्य होने का वर्ष
1	जे.एस.डी.एल.	1,000	7.25	2026
2	जे.एस.डी.एल.	500	7.40	2026
3	जे.एस.डी.एल.	1,000	6.90	2026
4	जे.एस.डी.एल.	1,000	7.21	2027
5	जे.एस.डी.एल.	658	7.80	2027
6	जे.एस.डी.एल.	893	7.94	2027
7	जे.एस.डी.एल.	104	7.59	2027

वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार का कुल ₹ 6,847 करोड़ का आन्तरिक ऋण के साथ-साथ इस अवधि के दौरान प्राप्त ₹ 234 करोड़ का केन्द्रीय ऋण संघटक के विरुद्ध मात्र ₹ 12,196 करोड़ का पूंजीगत व्यय यह इंगित करता है कि राजस्व प्राप्तियाँ से व्यय किया गया था।

व्यय

3.1. भूमिका

व्यय को राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राजस्व व्यय का उपयोग किसी संगठन के दिन-प्रतिदिन के व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है। पूंजीगत व्यय का उपयोग स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण अथवा ऐसी परिसंपत्तियों की उपयोगिता में वृद्धि अथवा स्थायी दायित्वों में कमी के लिए किया जाता है। व्यय को अग्रतर योजना एवं गैर-योजना के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

सामान्य सेवाएं	न्याय, पुलिस, जेल, लोक निर्माण विभाग, पेंशन इत्यादि शामिल है।
सामाजिक सेवाएं	शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल पूर्ति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों का कल्याण इत्यादि शामिल है।
आर्थिक सेवाएं	कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता ऊर्जा, उद्योग, परिवहन इत्यादि शामिल है।

3.2. राजस्व व्यय

गैर-योजना व्यय के अन्तर्गत ₹ 1,341 करोड़ तथा योजना व्यय के अंतर्गत ₹ 2,332 करोड़ के कम भुगतान के कारण वर्ष 2016-17 में ₹ 45,089 करोड़ का राजस्व व्यय, जो बजट प्राक्कलन से ₹ 3,673 करोड़ कम हुआ।

विगत पाँचों वर्षों के दौरान राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत बजट प्राक्कलन के विरुद्ध व्यय में हास/आधिक्य को नीचे दर्शाया गया है :-

टेबल नं. - 15

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
बजट प्राक्कलन	27,800	30,435	39,488	43,343	48,762
वास्तविकी	23,400	23,472	31,795	36,553	45,089
अन्तर (-) बचत / (+) आधिक्य	(-)4,400	(-)6,964	(-)7,693	(-)6,790	(-)3,673
बजट प्राक्कलन के ऊपर अन्तर की प्रतिशतता	(-)16	(-)23	(-)19	(-)16	(-)8


3.2.1. राजस्व व्यय (2016-17) का खण्डवार वितरण

टेबल नं. - 16

(₹ करोड़ में)

संघटक	राशि	प्रतिशतता
क. राजकोषिय सेवायें		
(i) सम्पत्ति एवं पूंजीगत लेन-देनों पर करों का संग्रहण	262	0.58
(ii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण	74	0.16
(iii) अन्य राजकोषिय सेवायें	2	0.00
ख. राज्य के अंग	464	1.03
ग. ब्याज अदायगियाँ एवं ऋण शोधन कार्य	4,172	9.25
घ. प्रशासनिक सेवायें	3,912	8.68
च. पेंशन एवं विविध सामान्य सेवायें	4,138	9.18
छ. सामाजिक सेवायें	18,557	41.16
ज. आर्थिक सेवायें	13,508	29.96
झ. सहायक अनुदान एवं अंशदान	0	0
कुल व्यय (राजस्व लेखा)	45,089	100.00

3.2.2. राजस्व व्यय (2012-17) के मुख्य घटक



चार्ट नं. - 11

टिप्पणी: मुख्य शीर्ष 2048 (ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन) मुख्य शीर्ष 2049 (ब्याज अदायगियाँ) को छोड़कर तथा मुख्य शीर्ष 3604 (स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन) को शामिल कर सामान्य सेवाएँ

3.3. पूंजीगत व्यय

वर्ष 2016-17 में (योजना व्यय के अधीन ₹ 468 करोड़ एवं गैर-योजना व्यय के अधीन ₹ 10 करोड़ का कम व्यय) पूंजी व्यय, स.रा.घ.उ. का 5 प्रतिशत रहा, जो कि ₹ 478 करोड़ बजट प्राक्कलन से कम था।

3.3.1. पूंजीगत व्यय का खण्डवार वितरण

वर्ष 2016-17 के दौरान सरकार के द्वारा चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर ₹ 512 करोड़, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर ₹ 264 करोड़, अन्य ग्रामीण विकास योजना पर ₹ 2,075 करोड़ तथा सड़क एवं सेतु पर ₹ 4,292 करोड़ खर्च किया गया।

टेबल नं. - 17

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	खण्ड	राशि	प्रतिशतता
1	सामान्य सेवाएं - पुलिस, भू-राजस्व इत्यादि।	590	5
2	सामाजिक सेवाएं - शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण, जलापूर्ति, अनुसूचित जाति/ जनजाति का कल्याण इत्यादि।	1,532	12
3	आर्थिक सेवाएं - कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता ऊर्जा, उद्योग, परिवहन इत्यादि।	8,739	72
4	कर्ज एवं अग्रिम संवितरित	1,335	11
5	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	0	0
	कुल	12,196	100


3.3.2. विगत पाँच वर्षों के दौरान पूंजीगत व्यय का खण्डवार वितरण

टेबल नं. - 18

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	खण्ड	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	सामान्य सेवाएं	176	168	326	571	590
2	सामाजिक सेवाएं	1,030	924	910	1,024	1,532
3	आर्थिक सेवाएं	3,012	3,631	4,307	6,564	8,739
4	कर्ज एवं अग्रिम	601	222	824	7,480	1,335
5	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	100	50	0	0	0
	कुल	4,919	4,995	6,367	15,639	12,196


पंजीगत व्यय के खण्डवार वितरण की प्रवृत्ति



चार्ट नं. - 12

योजना एवं गैर-योजना व्यय


4.1. व्यय का वितरण (2016-17)



चार्ट नं. - 13

4.2. योजना व्यय

वर्ष 2016-17 के दौरान, योजना व्यय (रु 26,589 करोड़ राज्य योजना के अधीन, ₹ 6,308 करोड़ केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अधीन, ₹ 111 करोड़ केन्द्रीय योजनागत योजना के अधीन तथा ₹ 1,258 करोड़ कर्ज एवं अग्रिम के अधीन) ₹ 34,266 करोड़ था, जो कि कुल संवितरण (₹ 57,285 करोड़) का 60 प्रतिशत को इंगित करता है।



चार्ट नं. - 14

4.2.1. पूंजी लेखा के अन्तर्गत योजना व्यय


टेबल नं. - 19

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कुल पूंजी व्यय	4,919	4,945	6,367	15,639	12,196
कुल व्यय (योजना)	4,694	4,899	6,309	15,495	12,072
कुल पूंजी व्यय का पूंजी व्यय (योजना) की प्रतिशतता	95	99	99	99	99


4.3. गैर-योजना व्यय

वर्ष 2016-17 के दौरान गैर-योजना व्यय (₹ 22,895 करोड़ राजस्व के अधीन एवं ₹ 124 करोड़ पूंजी के अधीन) ₹ 23,019 करोड़ था, जो कुल संवितरण का 40 प्रतिशत को इंगित करता है।



चार्ट नं. - 15

4.4. वचनबद्ध व्यय



चार्ट नं. - 16

टेबल नं. - 20

(₹ करोड़ में)

संघटक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
वचनबद्ध व्यय	11,912	13,033	13,809	16,050	19,093
राजस्व व्यय	23,400	23,471	31,795	36,553	45,089
राजस्व प्राप्तियाँ	24,770	26,137	31,565	40,638	47,054
राजस्व प्राप्तियाँ का वचनबद्ध व्यय की प्रतिशतता	48	50	44	39	41
राजस्व व्यय का वचनबद्ध व्यय की प्रतिशतता	51	56	43	44	42

वचनबद्ध व्यय में अत्यधिक वृद्धि सरकार को विकासात्मक खर्च में कम लचीलापन लाने के लिए बाध्य करता है।

विनियोग लेखे

5.1. वर्ष 2016-17 के लिए विनियोग लेखे का सारांश

टेबल नं. - 21

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोग	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
1	राजस्व						
	दत्तमत	44,296	7,510	0	51,806	40,678	(-)10,893
	प्रभारित	4,465	266	0	4,731	4,246	(-)485
2	पूंजी						
	दत्तमत	10,992	1,687	0	12,679	10,861	(-)1,818
	प्रभारित	0	0	0	0	0	0
3	लोक ऋण						
	प्रभारित	2,067	0	0	2,067	2,078	(+)11
4	कर्ज एवं अग्रिम						
	दत्तमत	1,682	0	0	1,682	1,335	(-)347
	कुल	63,502	9,463	0	72,965	59,433	(-)13,532

5.2. विगत पाँच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य या अधिक व्यय की प्रवृत्ति

टेबल नं. - 22

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बचत (-) अधिक व्यय (+)				
	राजस्व	पूंजी	लोक ऋण	कर्ज एवं अग्रिम	कुल
2012-13	(-)5,488	(-)2,761	(+)556	(-)269	(-)7,962
2013-14	(-)9,060	(-)2,990	(+)182	(-)568	(-)12,436
2014-15	(-)13,104	(-)3,265	(-)115	(-)421	(-)16,905
2015-16	(-)14,275	(-)2,673	(-)28	(-)549	(-)17,525
2016-17	(-)11,378	(-)1,818	(+)11	(-)347	(-)13,532

5.3. महत्वपूर्ण बचतें

किसी अनुदान के अधीन पर्याप्त बचत यह दर्शाता है कि किसी खास योजनाओं/कार्यक्रमों का या तो कार्यान्वयन नहीं किया गया या मन्द गति से कार्यान्वयन किया गया।

कुछ अनुदानों के निरंतर एवं महत्वपूर्ण बचतें नीचे दिए गए हैं :-

टेबल नं० - 23

अनुदान	नामकरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
		(प्रतिशत में)				
1	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	37	58	56	54	32
20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	38	22	41	38	27
29	खनन एवं भू-तत्व विभाग	25	33	38	43	49
43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग (उच्च एवं तकनीकी शिक्षा प्रभाग)	43	56	40	31	17

जहाँ वर्ष 2016-17 के दौरान कुछ मामलों में कुल ₹ 9,463 करोड़ (कुल व्यय का 16 प्रतिशत) का अनुपूरक अनुदान/विनियोग अनावश्यक साबित हुआ, वहीं वर्ष के अन्त में मूल आवंटन के विरुद्ध भी पर्याप्त बचत पाया गया। कुछ मामले नीचे दिए गए हैं।

टेबल नं० - 24

(₹ करोड़ में)

अनुदान	नामकरण	प्रभाग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
1	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	राजस्व	1,247.08	202.70	923.73
2	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	राजस्व	258.04	34.79	197.24
20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	राजस्व	2,404.57	260.07	1,957.38
23	उद्योग विभाग	राजस्व	398.23	47.42	292.64
26	श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग	राजस्व	253.07	28.36	170.66
36	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	राजस्व	1,162.22	386.72	1,305.86
40	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	राजस्व	508.56	16.99	364.44
41	पथ निर्माण विभाग	पूँजी	3,994.34	310.55	4,292.34
42	ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	राजस्व	4,385.46	337.80	3,469.80
48	नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	राजस्व	2,334.57	1,115.00	2,757.82
51	कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	राजस्व	1,617.75	296.89	1,316.17
54	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	राजस्व	303.70	18.14	221.40
56	ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	राजस्व	1,416.07	478.61	1,671.36
58	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)	राजस्व	1,623.50	91.07	1,202.17
60	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	राजस्व	3,156.94	21.62	2,414.68

परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व

6.1. परिसम्पत्तियाँ

वर्तमान लेखा पद्धति में अधिग्रहण/क्रय के वर्ष के अतिरिक्त सरकारी परिसम्पत्तियों जैसे - भूमि, भवन इत्यादि के मूल्यांकन का चित्रण सहजतापूर्वक नहीं होता है। इसी प्रकार लेखे जहाँ चालू वर्ष में प्रकट होने वाले दायित्वों के प्रभाव को दर्शाता है वहीं ब्याज की दर तथा ऋण की वर्तमान अवधि द्वारा सीमित सीमा तक दर्शाये जाने के अतिरिक्त आनेवाली पीढ़ियों के लिए दायित्वों के सम्पूर्ण प्रभाव का चित्रण नहीं होता है।

वर्ष 2016-17 के दौरान सरकार ने ₹ 12 करोड़ का निवेश किया एवं वर्ष के दौरान शून्य करोड़ ब्याज प्राप्त हुआ।

6.1.1. रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

31 मार्च 2016 को आर.बी.आई. के साथ रोकड़ शेष ₹ (-) 204 करोड़ तथा मार्च 2017 के अन्त तक बढ़ कर ₹ 502 करोड़ रहा। रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश की स्थिति निम्न रूप है:

टेबल नं. - 25

(₹ करोड़ में)

संघटक	1 अप्रैल 2016 को	31 मार्च 2017 को	निवल वृद्धि (+)/ हास (-)
रोकड़ शेष	(-)204	502	(+)706
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार, कोषागार विपत्र)	2,102	1,439	(-)663
अन्य रोकड़ शेष	6	6	0
(क) विभागीय शेष	6	6	0
(ख) स्थायी रोकड़ अग्रधन	0	0	0
कर्णांकित निधि शेषों से निवेश	0	0	0
(क) गारंटी विमोचन निधि	0	0	0
(ख) अन्य निधियाँ	0	0	0
ब्याज सिद्ध	117	117	0

6.2. ऋण एवं दायित्व

वर्ष 2016-17 के अन्त में बकाया लोक ऋण ₹ 50,845 करोड़ था, जिसमें ₹ 48,683 करोड़ आंतरिक ऋण तथा ₹ 2,162 करोड़ केन्द्रीय सरकार से कर्जे एवं अग्रिमों का शामिल था। इसके अतिरिक्त लोक लेखा के अन्तर्गत अन्य दायित्वों के अन्तर्गत लेखांकित ₹ 15,982 करोड़ था।

लघु बचत संग्रहण, भविष्य निधि तथा जमा जैसे - निक्षेपों के संबंध में राज्य भी एक बैंकर और न्यासी के जैसा कार्य करता है। वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 10,296 करोड़ का एक समग्र वृद्धि राज्य सरकार के ऐसे दायित्वों के संबंध में था।

ऋण पर ब्याज अदायगियां ओर अन्य दायित्वों में कुल ₹ 4,172 करोड़ था, जो ₹ 45,089 करोड़ के राजस्व व्यय का 9 प्रतिशत है। आन्तरिक ऋणों पर ब्याज अदायगियां ₹ 3,817 करोड़ था (अन्य आन्तरिक ऋण पर ₹ 382 करोड़ राज्य सरकार द्वारा उगाही गई बाजार कर्जे पर ₹ 2,459 करोड़, विशेष प्रतिभूतियाँ जैसे राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की

राष्ट्रीय आय बचत निधि को निर्गत ₹ 968 करोड़ तथा अन्य दायित्वों पर ₹ 8 करोड़)। वर्ष 2016-17 के दौरान ब्याज अदायगियों के कारण व्यय में ₹ 852 करोड़ की वृद्धि हुई, वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 6,847 करोड़ के आन्तरिक ऋण की उगाही की गई थी, जिसका उपयोग मुख्यतः ₹ 1920 करोड़ के ऋण दायित्वों तथा ₹ 3817 करोड़ ब्याज अदायगी के निर्वहन में किया गया।

6.3. निवेश एवं वापसियां

वर्ष 2016-17 के अन्त में सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों इत्यादि में पूंजीगत हिस्सा के रूप में कुल निवेश ₹ 274 करोड़ था। जबकि सांविधिक निगमों, ग्रामीणों बैंकों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों इत्यादि में निवेश में ₹ 12 करोड़ की अभिवृद्धि हुई।

6.4. राज्य सरकार द्वारा कर्ज एवं अग्रिम

वर्ष 2016-17 के अन्त में राज्य सरकार द्वारा दिया गया कुल कर्जे एवं पेशगियाँ ₹ 17,483 करोड़ था, इसमें से सरकारी निगमों/कम्पनियों, गैर सरकारी संस्थानों तथा स्थानीय निकायों को कर्जे एवं पेशगियाँ ₹ 17,367 करोड़ था, 31 मार्च 2017 के अन्त मूलधन एवं ब्याज की वापसी ₹ 518 करोड़ तथा ₹ 1009 करोड़ का बकाया है।

6.5. प्रत्याभूति

14.11.2000 तक संयुक्त बिहार राज्य द्वारा दिए गए प्रत्याभूतियों का आवंटन उत्तरवर्ती राज्यों, बिहार और झारखण्ड के बीच अभी तक नहीं हुआ है (अक्टूबर 2017)। वर्ष 2016-17 के अंत में बकाया राशि ₹ 157 करोड़ था। ₹ 157 करोड़ की बकाया गारंटियों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा विस्तृत सूचनाओं का प्रेषण नहीं किया गया है।

वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य सरकार द्वारा गारंटी नहीं किया गया। जबकि, वर्ष 2016-17 के अन्त में ₹ 157 करोड़ की राशि बकाया था। सरकार द्वारा गारंटी विमोचन निधि का सृजन नहीं किया गया। दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत, राज्य सरकार द्वारा वर्ष के आरम्भ में बकाया गारंटी का 0.5 प्रतिशत न्यूनतम वार्षिक अंशदान किया जाना अपेक्षित है। फलतः कोई अंशदान (प्राक्कलित ₹ 0.79 करोड़ जो कि 1 अप्रैल 2016 को ₹ 157 करोड़ के बकाया गारंटियों का 0.5 प्रतिशत है) नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष को ₹ 0.79 करोड़ की न्यूनतम सीमा तक अधिक दर्शाया गया है।

अन्य मदें

7.1. आंतरिक ऋण के अधीन शेष

राज्य सरकारों का उधार भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के द्वारा शासित होता है। लिए गए प्रत्यक्ष कर्जों के अतिरिक्त विभिन्न योजनागत योजनाओं तथा कार्यक्रमों, जो राज्य बजट से बहिर्विष्ट होते हैं, का क्रियान्वयन हेतु बाजार एवं वित्तीय संस्थानों से सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा उठाये गये कर्जों को भी राज्य सरकारें गारंटी देती है। इन कर्जों को संबंधित प्रशासकीय विभागों की प्राप्तियों के जैसा प्रतिपादित किया जाता है जो सरकार की पुस्तकों में प्रकट नहीं होता है। मार्च 2017 के आंतरिक ऋण के अधीन शेष ₹ 48,682 करोड़ था।

7.2. स्थानीय निकायों एवं अन्यान्य को वित्तीय सहायता

विगत तीन वर्षों के दौरान स्थानीय निकायों इत्यादि को सहायता अनुदान के रूप में वर्ष 2015-16 में ₹ 14,891 करोड़ दिया गया, जो वर्ष 2016-17 में बढ़कर ₹ 20,332 करोड़ हो गया।

वर्ष के दौरान जिला परिषदों, पंचायत समितियों तथा नगरपालिकाओं को ₹ 5,495 करोड़ का अनुदान दिया गया, जो कुल अनुदान का 27 प्रतिशत था।

विगत तीन वर्षों में दिए गए सहायक अनुदान का ब्यौरा निम्नवत् है।

टेबल नं. - 26

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जिला परिषदों	नगर पालिकाओं	पंचायत समितियों	अन्य	कुल
2014-15	532	1,620	2,846	7,406	12,404
2015-16	3,407	1,646	0.00	9,838	14,891
2016-17	2,534	2,961	0.00	14,837	20,332

7.3. लेखे का पुनर्मिलान

लेखे की शुद्धता एवं विश्वसनीयता अन्य बातों के अलावा, महालेखाकार (ले.एवं हक.) द्वारा संकलित लेखे के आँकड़े के साथ विभागीय आँकड़े का समय पर समाधान पर निर्भर करता है। इस अभ्यास का पालन संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा संचालित होना चाहिए। बहुत से विभागों के लेखे का पुनर्मिलान अभी भी बाकी है। वर्ष 2016-17 में कुल व्यय (₹ 59,362.67 करोड़) में से मात्र 48.24 प्रतिशत (₹ 28,633.70 करोड़) का पुनर्मिलान किया गया। इसी प्रकार कुल प्राप्तियाँ ₹ 54,173.80 करोड़ में से मात्र 69 प्रतिशत (₹ 37,378.04 करोड़) का पुनर्मिलान किया गया। विभिन्न विभागों के मुख्य नियंत्रि अधिकारियों (सी.सी.ओ.) द्वारा लेखे की पुनर्मिलान की स्थिति नीचे दर्शाया गया है।

टेबल नं. - 27

विवरण	कुल मुख्य नियंत्रि अधिकारियों की संख्या	पूर्णतः पुनर्मिलान	आंशिक पुनर्मिलान	पुनर्मिलान नहीं किया गया
व्यय	180	42	82	56
प्राप्तियाँ	100	20	06	74
कुल	280	62	88	130

पुनर्मिलान के संदर्भ में कुछ पुराने चुककर्ता विभागों के नाम नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं:-

टेबल नं० - 28

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विभाग का नाम/मुख्य नियंत्री पदाधिकारी	लंबित वर्ष/वर्षों के नाम
1	सचिव, कृषि	2014-15, 2015-16, 2016-17
2	वित्तीय आयुक्त	2014-15, 2015-16, 2016-17
3	सचिव, पी.एच.ई.डी.	2014-15, 2015-16, 2016-17
4	निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं	2014-15, 2015-16, 2016-17
5	सचिव, शहरी विकास	2014-15, 2015-16, 2016-17
6	अपर सचिव, गृह प्रभाग IV ग्राम पुलिस आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर, हजारीबाग आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर, रांची	2014-15, 2015-16, 2016-17
7	महानिरीक्षक (जेल), गृह विभाग	2014-15, 2015-16, 2016-17
8	उप-सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग उप-सचिव, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा	2014-15, 2015-16, 2016-17
9	सचिव, वित्त विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार	2014-15, 2015-16, 2016-17
10	श्रमायुक्त	2014-15, 2015-16, 2016-17
11	सचिव कल्याण	2014-15, 2015-16, 2016-17
12	अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2014-15, 2015-16, 2016-17
13	निदेशक रोजगार तथा प्रशिक्षण	2014-15, 2015-16, 2016-17
14	उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	2014-15, 2015-16, 2016-17
15	वाणिज्य कर आयुक्त	2014-15, 2015-16, 2016-17
16	उप सचिव, कला संस्कृति तथा युवा	2014-15, 2015-16, 2016-17
17	सचिव विधि	2014-15, 2015-16, 2016-17
18	सचिव, निजी बोर्ड तथा प्रशासनिक सुधार	2014-15, 2015-16, 2016-17
19	संयुक्त सचिव, प्राकृतिक आपदा विभाग	2014-15, 2015-16, 2016-17
20	निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय	2014-15, 2015-16, 2016-17

7.4. कोषागार द्वारा लेखे का प्रेषण

कोषागार द्वारा प्रारम्भिक लेखे का प्रेषण संतोषजनक है। यद्यपि लोक निर्माण कार्यों एवं वन विभाग द्वारा लेखे की प्रस्तुति में सुधार होना चाहिए।

7.5. राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सहायक अनुदानों के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 2016 के नियम 261 के तहत सक्षम स्वीकृति प्रधिकारी के प्राधिकारी अधीन स्वीकृत राशि को छोड़कर सरकार द्वारा स्वीकृत सहायक अनुदान, अंशदान इत्यादि की राशि को कोषागार में

संवितरित नहीं किया जा सकेगा। आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व के वर्ष में आहरित राशि के लिए लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही संस्वीकृति प्राधिकारी को स्वीकृत्यादेश निर्गत करना चाहिए। निर्धारित अवधि के उपरांत बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र के लिए, निहित उद्देश्यों के लिए अनुदान कि उपयोगिता पर आश्वासन नहीं प्रदान किया जा सकता। बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति नीचे अंकित है:-

उपयोगिता प्रमाणपत्र की सारणी:-

टेबल नं. - 29

(₹ करोड़ में)

वर्ष ¹⁰	प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि
2014-15 तक	5,564	4,748.06
2015-16	2,408	11,981.28
2016-17	9,352	12,720.18
योग	17,324	29,449.52

¹⁰ उपर वर्णित वर्ष 'बकाया वर्ष' से संबंधित है अर्थात् वास्तविक निकासी के 12 माह के पश्चात। इस मामले को बार-बार राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है।

7.6. संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र (ए.सी.) एवं विस्तृत आकस्मिक विपत्र (डी.सी.)

आहरण एवं संवितरण अधिकारी सेवा शीर्षों को नामे द्वारा संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र के माध्यम से राशि आहरित करने के लिए अधिकृत है तथा उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि एक विशिष्ट अवधि के दरम्यान सभी मामलों में उप-वाउचरों द्वारा समर्थित विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत करें। वर्तमान में वर्ष 2000-01 से 2016-17 तक ₹ 5,651 करोड़ की राशि का 9,503 विस्तृत आकस्मिक विपत्र द्वारा राशि का आहरण संवितरण को प्रतिबिम्बित करता है किन्तु किए गए वास्तविक व्यय को नहीं दर्शाता है। विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:-

संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों (ए.सी.) की सारणी:-

टेबल नं. - 30

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लम्बित विस्तृत आकस्मिक विपत्रों (डी.सी.) की संख्या	राशि
2014-15 तक	8,732	3,932
2015-16	360	764
2016-17	411	955
योग	9,503	5,651

7.7. अपूर्ण पूंजीगत कार्यों के लेखे की वचनबद्धता

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान विभिन्न अपूर्ण परियोजनाओं पर कुल ₹ 3,537 करोड़ का व्यय किया गया।

7.8. उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय)

विद्युत वितरण कम्पनियों के पुनर्जीवित पैकेज के अनुसार, झारखण्ड सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में उदय के अन्तर्गत सहायता के रूप में कुल ₹ 6,136.37 करोड़ की राशि वितरण कम्पनियों को प्रदान किया गया, जिसमें से

भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से सहभागी/ऋणादि बैंकों को जारी नॉन एस.डी.एल. बॉन्ड्स के द्वारा ₹ 5,553.37 करोड़ की राशि उगाही की गई जबकि राज्य में संचित निधि से ₹ 583.00 करोड़ की राशि दी गई। ₹ 6,136.37 करोड़ की सम्पूर्ण राशि झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को कर्ज के रूप में दिया गया। वित्तीय वर्ष 2016-17 में वितरण कम्पनियों को उदय के अन्तर्गत राज्य सरकार से किसी भी प्रकार की सहायता राशि प्रदान नहीं की गई।

7.9. व्यय की तीव्रता

वित्तीय नियमावली का शर्त है कि व्यय की तीव्रता विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में यदि हो, तो वह वित्तीय नियमितता के उल्लंघन को प्रदर्शित करता है, जिसे टाला जाना चाहिए। यद्यपि, मार्च 2017 के दौरान चयनित निश्चित लेखा शीर्षों के अन्तर्गत किए गए व्यय, जो कि वर्ष के दौरान कुल व्यय का 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच था, वित्तीय वर्ष के अन्त में बजट के उपयोग की प्रवृत्ति को सुचित करता है।

वर्ष 2016-17 के चार तिमाही के दौरान नीचे उल्लेखित शीर्षों में व्यय का प्रवाह निम्नवत था:-

टेबल नं. - 31

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	वर्णन	प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	कुल	मार्च के दौरान	वर्ष 2016-17 के कुल व्यय के संदर्भ में 3/2017 की प्रतिशतता
2075	विविध सामान्य सेवायें	0.00	0.00	0.00	3.11	3.11	3.11	100.00
2203	तकनीकी शिक्षा	19.25	33.37	19.85	191.15	263.62	175.81	66.69
2204	खेलकूद तथा युवा सेवायें	1.86	4.89	3.61	47.51	57.87	40.39	69.79
2205	कला एवं संस्कृति	0.63	0.71	0.98	13.83	16.15	11.28	69.84
2401	फसल कृषि-कर्म	17.62	85.61	115.42	498.05	716.70	387.88	54.16
2402	मृदा तथा जल संरक्षण	2.34	7.34	3.03	50.22	62.93	38.15	60.62
2810	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	0.00	0.00	0.00	51.84	51.84	51.84	100.00
4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	3.40	9.15	37.53	138.60	188.68	128.56	68.14
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत लेखे	0.05	153.35	43.09	315.06	511.55	290.61	56.81
4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	49.00	100.00
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	116.96	116.96	113.14	96.73
4425	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	3.62	1.00	6.00	10.62	6.00	56.50
4885	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	100.00
5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	1.00	0.01	0.15	8.36	9.52	7.69	80.77
5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	0.78	2.46	1.56	69.47	74.27	38.71	52.12

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2017
www.cag.gov.in

www.agjh.cag.gov.in